

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक.....127 /
/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 02/05/2025

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर का अधिसूचना क्रमांक-बी/1951 जबलपुर दिनांक-23.04.2025 के द्वारा श्रीमती पद्मा जाटव, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को पॉक्सो अधिनियम-2012 से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रदान करते हुए विशेष न्यायाधीश एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-सी/3171/(NDPS)/III-6-3/89 जबलपुर दिनांक-29.04.2025 के द्वारा श्री सुधीर सिंह ठाकुर, 09वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रदान करते हुए विशेष न्यायाधीश अधिसूचित किया गया है। साथ ही कार्यालय के संशोधित कार्यविभाजन आदेश क्रमांक-285 दिनांक-30.04.2025 के द्वारा महिलाओं से संबंधित (OAW) प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमती अनु सिंह 17वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय को प्रदान किया गया है।

अतः सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर-03 में दर्शित प्राप्त सूची अनुसार सिविल एवं दांडिक प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किये जाते हैं:-

क.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती पद्मा जाटव, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. MJCR No. 680/25 Manju Kushwaha Vs MP State 2. UNCR No. 01 to 04 3. मान्0 उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के संधारित प्रकरणों की सूची क्रमांक-01 से 82 4. UNCIV No. 01 to 11	श्रीमती अनु सिंह, 17वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
2.	12वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. HCRA No. 01 to 132 2. UNCR No. 01	श्रीमती पद्मा जाटव, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
3.	श्री आशीष कुमार शुक्ला, 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	पूरक विशेष प्रकरण क्रमांक-19/2019 शासन म0प्र0 वि0 गयासुददीन एवं अन्य	श्री सुधीर सिंह ठाकुर, 09वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्र० 2340 /
/ दो-15-3 / 90

रीवा, दिनांक 07 / 05 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. चतुर्थ / 09वें / 12वें / 13 एवं 17वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)।
4. जे०एस०ए० / डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)